संख्या-2/2016/आडिट-3618/दस-2015-308(1)/2015

प्रेषक,

विमल किशोर खन्ना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव लोक सेवा आयोग,
उ0प्र0 इलाहाबाद।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 08 मार्च, 2016

विषय:- सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2016 के लिए अधियाचन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-आडिट-01/दस-2015-308(1)/14, दिनांक 02 जनवरी, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ के नियंत्रणाधीन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रवक्ता के सीधी भर्ती के कुल 61 पद सम्प्रति रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती/चयन उ0प्र0 सहकारी एवं पंचायत सेवा नियमावली, 2015 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद के अनुसार की जानी है।

अत: सीधी भर्ती के उक्त 61 पदों का अधियाचन निर्धारित प्रपत्र पर संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(विमल किशोर खन्ना)
विशेष सचिव।

2/-

संख्या-2/2016/आडिट-3618(1)/दस-2015, तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव को।

2- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ।

3- कार्मिक अनुभाग-1, 2, 3, एवं 4 उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव।

वर्ष 2016 में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें उ0प्र0 लखनऊ के नियंत्रणाधीन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रवक्ता का अधियाचन

सीधी भर्ती का अधियाचन

1-	अधियाचन का प्रकार-सामान्य चयन अथवा विशेष चयन	सामान्य चयन
2- (क)	पद का नाम	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रवक्ता
(ख)(1)	क्या यह पद नया सृजित किया गया है (हॉ या नहीं)	हॉ
(2)	क्या यह पद पदोन्नति/सेवानिवृत्त/ अन्य प्रकार से रिक्त है (हॉ या नहीं)	उ0प्र0 सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015 के द्वारा सृजित
3-	वेतनमान	वेतन बैण्ड-3, 15600-39100 ग्रेड पे 5400
4-	सेवा संवर्ग-(उ0प्र0 सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा)	(समूह-ख)
5-	नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	श्री राज्यपाल
6-	क्या अधियाचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है (हॉ या नहीं)	हॉ,
7-	क्या पद नियमित नियुक्ति का है \	हॉ,
8-	क्या पद की नियमावली बनी है (हॉ या नहीं)	हॉ,
9-	चयन का आधार सेवा नियमावली के अनुसार	(3) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	(1) केवल साक्षात्कार (2) केवल लिखित परीक्षा (3) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (जो लागू न हो काट दिया जाय)	
10-	अधियाचित पदों का आरक्षण व श्रेणीवार विवरण-	
(क)	**लम्बवत आरक्षण का विवरण**	
(1)	अनारक्षित पदों की संख्या	30
(2)	अनुसूचित जाति के पदों की संख्या	12
(3)	अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या	01
(4)	अन्य पिछडा वर्ग के पदों की संख्या	16
(ख)	**क्षैतिज आरक्षण का विवरण-**	
(1)	शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2795, दिनांक 20-9-1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार स्वंतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 03 प्रतिशत)	01
(2)(क)	समाज के विक्लांग व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 03 प्रतिशत)	01
(ख)	शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13 जनवरी, 2011 के प्राविधानानुसार विक्लांग हेतु आरक्षित पद विकलांगता (1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि (2) श्रवण ह्रास से ग्रसित	--
(2)	चलन किस-किस श्रेणी हेतु आरक्षित है, तदनुसार उनके उप श्रेणी के चिन्हांकन का अवश्य उल्लेख कर दिया जाय।	--
(3)	शासनादेश संख्या-18-/1/95-टी0सी0,	02

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<table>
<tr><td></td><td>दिनांक 09-9-1992 के प्राविधानानुसार सैन्य नियोजित/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (समूह "ख" के पदों हेतु रिक्तियों का 05 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>(4)</td><td>शासनादेश संख्या-18(1)/95-का-2-99, दिनांक 26-2-99 के आलोक में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या</td><td>11
(रिक्तियों के सापेक्ष)</td></tr>
<tr><td>11-</td><td colspan="2">संवर्ग में सृजित व रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>श्रेणी</th><th>आरक्षण प्रतिशत</th><th>कुल सृजित पद</th><th>भरे पद</th><th>रिक्त पद</th><th>अधियाचित पदों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सामान्य</td><td>---</td><td>32</td><td>09</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अनुसूचित जनजाति</td><td>21 प्रतिशत</td><td>12</td><td>02</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अनुसूचित जनजाति</td><td>02 प्रतिशत</td><td>1</td><td>--</td><td>01</td><td>01</td></tr>
<tr><td>4-</td><td>अन्य पिछडा वर्ग</td><td>27 प्रतिशत</td><td>16</td><td>02</td><td>16</td><td>16</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12-</td><td>क्या पद स्थायी है/अस्थायी \</td><td>स्थायी</td></tr>
<tr><td>13-</td><td>शैक्षिक अर्हतायें :-</td><td></td></tr>
<tr><td>(अ)</td><td>अनिवार्य (जिसमें शिक्षा सम्बन्धी एवं अनुभव) आदि जैसा नियमावली में निर्धारित हो</td><td>(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता।
(दो) देवनागरी लिपि में लिखी गयी हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान</td></tr>
<tr><td>(ब)</td><td>अधिमानी अर्हतायें, यदि कोई हो</td><td>(एक) प्रादेशिक सेना में</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
14-	आयु सीमा जैसा सेवा नियमावली/अद्यतन आयु सीमा निर्धारण नियमावली में विहित हो-	
(क)	न्यूनतम	सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें भर्ती के लिए आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और
(ख)	उच्चतम	40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष अधिक होगी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		जितनी विर्निदिष्ट की जाय।
15-	क्या आयु की उच्च या निम्न सीमा का शिथिल किया जा सकता है \ (हां/नहीं), यदि हां तो किसके लिए और किस सीमा तक-(सीमा नियमावली/शासनादेश के प्राविधानानुसार)	हां-उपरोक्तानुसार
16-	अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता	सेवा नियमावली के अनुसार भारतीय एवं अन्य
17-	क्या पद पेंशनयुक्त है \ (हां/नहीं)	नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन देय
18-	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	उत्तर प्रदेश सरकार सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार
19-	कर्तब्य	लेखा परीक्षा करना/ कराना, लेखा परीक्षक कार्मिकों के कार्यों का पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन देना, आहरण वितरण एवं अन्य प्रशासनिक कार्य आदि।
20-	कोई अन्य शर्त अथवा अर्हताएं, जो उपर्युक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत नहीं आती ।	कोई नहीं

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।